REGD, NO. D. L.-33004/99

あいたい あんてい あいたい たいしょう かんしん ちょうかん しょうしん



रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग Ⅲ—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1063] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 25, 2003/अग्रहायण 4, 1925 No. 1063] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 25, 2003/AGRAHAYANA 4, 1925

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अषिसुचना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2003

का.आ. 1356(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में यथा वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में उनके सामने यथा उल्लिखित तत्स्थानी खण्ड के भूखण्ड को जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है। सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	ৰত্ত	भूखण्ड किलोमीटर में
(1)	(2)	(3)
2	विद्यमान का पूर्वी पहुंच मार्ग और दूसरा	670 कि.मी. से
विवे	विवेकानन्द पुल	672.197 कि.मी. तक

[सं. एन एच-14012/8/2002-पीएण्डएम] यू.एस. तिवारी, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2003

S.O. 1356 (E) .--- In exercise of the powers conferred by Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding section as mentioned against them in column (2) of the said Table, of the national highway as described in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India.

National Highway No.	Section	• Stretch in Kilometer
(1)	(2)	(3)
2	Eastern approach of existing and 2nd Vivekanand Bridge.	From Km. 670 to Km. 672.197
3548 GI/2003		[No. NH-14012/8/2002-P&M] U.S. TIWARI, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.